दीपिका तनेजा बनाम विद्यासागर व अन्य
प्रकरण संख्या 2024/018

04.09.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित । पत्रावली मे बहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थीया/प्रतिवादी स० 1/1 की ओर से आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी पी सी का प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किए कि – यह कि वादीया द्वारा वाद पत्र माननीय न्यायालय में इस आश्य का पेश किया है कि चक 30 जी जी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरबा न० 34 में 12 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि कृष्णा देवी के नाम से थी कृष्णा देवी की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसों में बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज हो गयी। कृष्णा देवी की लडकियों ने कृष्णा देवी के पुत्रों के हक में दस्तबरदारी कर दी एवं उसके उपरान्त कृषि भूमि प्रार्थीया के ससुर व उसके भाई प्रतिवादी स० 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। यह कि वादीया के ससुर अप्रार्थी स० 1 मृतक विधासागर के नाम से चक 30 जी जी के खाता स० 85/67 में मुश्तर्का खाता में 1/2 अर्थात 1.581 है० कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है कृषि भूमि में सम्बन्ध में 'वादीया द्वारा वाद में पैरा स० 3 व 6 में दर्ज किया है जिसका अवलोकन फरमया जावे। यह कि वादीया द्वारा वाद पत्र के पैरा स० 7 में कथन किया है कि वादीया के ससुर अप्रार्थी स० 1 की मृत्यु हो चुकी है जिनके नाम से 1.581 है0 कृषि भूमि दर्ज है एवं वादीया के पत्ति अतुल तनेजा की भी मृत्यु हो चुकी है एवं वादीया व अतुल तनेजा से कोई भी सन्तान उत्पन्न नहीं हुई थी इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि में जो विधासागर के नाम से कृषि भूमि दर्ज है उसमें से वादीया का 1/2 हिस्सा बनता है। यह कि वादीया द्वारा वाद में कथन दर्ज किया गया है कि स्व० विधासागर की कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा वादीया का बनता है जबकि कानूनन वादीया 1/2 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है और ना ही वादीया द्वारा बाद पत्र में कहीं भी अंकित किया गया है कि वादीया अतुल तनेजा की एकल वारिस थी और ना ही वादीया स्व० अतुल तनेजा पुत्र श्री विद्यासागर की इकलौती वारिस है। इसलिए वादीया वादग्रस्त कृषि भूमि में दर्ज विधासागर की कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। इसलिए वादीया को मुझ प्रतिवादी के खिलाफ वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किये जाने योग्य है। वादीया के ससुर विधासागर का देहान्त के उपरान्त उसके पुत्र अतुल तनेजा अर्थात वादीया के पति का देहान्त हुआ परन्तु विधासागर की पत्नी प्रतिवादी स० 1 जो कि अतुल तनेजा की माता है एवं वादीया की सास है जीवित है। जब तक वादीया की सास जीवित है तब तक वादीया का वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा कृषि भूमि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। वादीया द्वारा जो श्रीमान के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया है जिससे भी स्पष्ट है कि वादीया का वादग्रस्त कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। यह कि मौजूदा आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 संपठित धारा 151 सीपीसी का निस्तारण महज वाद पत्र के अभिवचनो से ही किया जाना है। जिसके लिए जवाब वाद पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। यह [illegible] के सम्बन्ध में स्पष्ट है कि बिना अधिकारिता के न्यायालय में बोगस कलेम पर आधारि[illegible] दावो को प्रथम स्तर पर ही दबा देना न्यायालय का कर्तव्य है [illegible] न्यायालयों का समय नष्ट न हो। यह कि प्रार्थना पत्र में व[illegible] जिनका सर्वप्रथम निर्णय किया जाना उचित है। यह कि प्रार्थना पत्र विधिक बिन्दुओ [illegible]म सदभाविक तथ्यो पर प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसे निर्णित करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। यह कि वादीया को प्रतिवादी स० 1/1 के विरूध वाद कारण उत्पन्न नही होने के कारण वाद इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। लिहाजा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी पी सी के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वाद का वादीया को वाद हेतूक प्राप्त न होने के कारण बिना आयन्दा विचारण इसी स्तर पर सव्यय खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:27:51 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अप्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1/1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11, सपठित धारा 151, सी०पी०सी० का जवाब वादी की ओर से यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 के कथन रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार हैं। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 के कथन स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 ता 11 में दर्ज कथनों के सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1/1 ने इन चरणों में समस्त तथ्य न्यायालय को भ्रमित करने के उद्देश्य से दर्ज करवाए गए हैं। इनके समबन्ध में निवेदन है कि वादिया ने अपने वाद पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है कि वादिया की शादी श्री अतुल तनेजा पुत्र स्व० श्री विद्यासागर के साथ दिनांक 10.12.2016 को हुई थी। वादिया के पति श्री अतुल तनेजा की मृत्यु दिनांक 08.09.2022 को हो चुकी है। वादिया के ससुर प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु दिनांक 23.11.2020 को हो जाने के उपरान्त विधिनुसार उसके नाम दर्ज चक 30-जी.जी. के मुरब्बा नम्बर 34 की 3.162 हैक्टेयर कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात् 1.581 हैक्टेयर कृषि भूमि उनके विधिक वारिसान वादिया की सास प्रतिवादी संख्या 1/1 व वादिया के पति अतुल तनेजा को बहिस्सा बराबर-बराबर न्यागत हुई। इस प्रकार वादिया के पति को न्यागत हुई 1.581 हैक्टेयर का 1/2 हिस्सा अर्थात् 0.7905 हैक्टेयर कृषि भूमि पर वादिया का पति अतुल तनेजा अपने जीवनकाल में मालिक व काबिज रहा। वादिया के पति अतुल तनेजा की मृत्यु उपरान्त उक्त कृषि भूमि वादिया को न्यागत हुई। प्रतिवादी संख्या 1/1 ने अपने वाद पत्र में यह अंकित किया है कि, "वादिया की सास जीवित है।" जिसके सम्बन्ध में निवेदन है कि उक्त कथन स्वीकार हैं, लेकिन अपनी सास के जीवित रहते वादिया अपना हिस्सा घोषित करवाने के लिए विधिनुसार पूर्ण सक्षम है। इस प्रकार वादिया द्वारा प्रस्तुत वर्तमान वाद पत्र आदेश 7, नियम 11, सी०पी०सी० के प्रावधानों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता।

प्रतिवादी संख्या 1/1 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11, सपठित धारा 151, सी०पी०सी० में जो-जो तथ्य उठाये गये हैं, वे समस्त तथ्य साक्ष्य तलब हैं जो कि विधिनुसार दावा में प्रतिवादी संख्या 1/1 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत होने पर विवाद्यक विरचित किये जाने के उपरान्त ही साक्ष्य लेकर तय हो सकते हैं। इस स्तर पर प्रतिवादी संख्या 1/1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिनुसार पोषणीय नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1/1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11. सपठित धारा 151, सी०पी०सी० सव्यय खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 संपठित धारा 151 सी.पी.सी. का स्कोप अत्यन्त सीमित है, जिसमें वाद में अभिलिखित कथनों के सही होने की अवधारणा की जाती है। सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 में स्पष्ट लिखा है कि-

(क) जहां वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया है वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक किया गया है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(घ) जहां वाद पत्र में कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) जहां यह दो प्रतियों में नहीं भरा गया है।

(च) जहां वादी नियम 9 के प्रावधानों के पालन में असफल रहता है।

आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के उपरोक्त सुसंगत प्रावधानों के अवलोकन के अनुसार वाद हेतुक नहीं होने की स्थिति में या वाद विधि द्वारा वर्जित होने की स्थिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:27:51 IST
Reason: SelfAttested

में ही इन प्रावधानों के तहत वाद खारिज किया जा सकता है। हस्तगत वाद 53, 88, 188, 92ए, 209 आरटीए के तहत प्रस्तुत किया गया प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 7 नियम 11 सीपीसी में कथन किया गया कि वादीया द्वारा वाद पत्र में कहीं भी अंकित नही किया गया है कि वादीया अतुल तनेजा की एकल वारिस थी और ना ही वादीया स्व० अतुल तनेजा पुत्र श्री विद्यासागर की इकलौती वारिस है। इसलिए वादीया वादग्रस्त कृषि भूमि में दर्ज विधासागर की कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। इसलिए वादीया को मुझ प्रतिवादी के खिलाफ वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। जबकि वाद पत्र के पैरा संख्या 05 में इसके बाबत स्पष्ट उल्लेख किया है कि वादिया के ससुर प्रतिवादी संख्या 01 विद्यासागर एंव वादिया के पति अतुल तनेजा का देहान्त हो चुका है। इस प्रकार वर्तमान में स्व0 विद्यासागर प्रतिवादी संख्या 01 के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान केवल वादिया एंव उसकी सास प्रतिवादी संख्या 1/1 ही है, अन्य कोई विधिक वारिसान नहीं हैं।

प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में यह कथन किया गया है कि कानूनन वादिया दीपिका तनेजा पत्नी स्वर्गीय अतुल तनेजा प्रतिवादी संख्या 1/1 (प्रार्थीया) के जीवित रहते 1/2 हिस्सा भूमि प्राप्त करने की अधिकारी नही है। इसलिये वादियां को प्रतिवादी संख्या 1/1 के खिलाफ वाद कारण हासिल नही होता है। न्यायालय का विन्रम मत इस संबंध में यह है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में उठाये गये तथ्यों का निस्तारण तनकीयात कायम कर जरिये साक्ष्य सबूत वरवक्त दावा में गुणावगुण पर तय होना है। इस स्तर पर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होने से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04 सितम्बर, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से को जारी किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब वादपत्र हेतु दिनांक 16.09.2025 को पेश हो।

स्वाति गुप्ता
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:27:51 IST
Reason: SelfAttested